International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 886-889

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(10): 886-889
www.allresearchjournal.com
Received: 12-08-2020
Accepted: 27-09-2020

नसरीन सबा
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर
समाजशास्त्र विभाग
मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
नसरीन सबा
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर
समाजशास्त्र विभाग
मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार, भारत

ग्रामीण महिला उत्थान में सूक्ष्म वित्त की भूमिका

नसरीन सबा

प्रस्तावनाः

भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसका लगभग आधा भाग महिलाओं का है। महिलाओं का राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु, महिलाओं की भूमिका अभी तक परदे के पीछे रही है। यही कारण है कि इन्हें समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पाई है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा केवल भारत का ही विषय नहीं है वरन् विश्व के सभी देशों में यह चिंतनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत की गई थी। इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक विश्व महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। महिला उत्थान व सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति मिली।

महिलाओं की स्थिति ही देश के विकास को सूचित करती है। इसलिए इनको सशक्त बनाने की जरूरत है। इन्हें इतना मजबूत बनना होगा कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं। इन्हें पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना होगा।

समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए नारी शक्ति का विशेष महत्व है। देश का सम्पूर्ण विकास महिलाओं के वास्तविक विकास पर निर्भर है। भारत में आज भी महिलाएं विशेष तौर से ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की मुख्य धारा से जुड़ने में रूकावटें महसूस करती हैं। महिला उत्थान से जुड़ी कई समस्याएं हैं जो और भी अधिक जटिल है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण जैसी समस्याओं को समाप्त कर उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना होगा। तकनीकी, व्यावसायिक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाकर हीं महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सतत विकास के लक्ष्य व्यापक रूप से महिलाओं से जुड़े हैं। यही कारण है कि महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्तमान में महिलायें आत्मनिर्भर होकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुई हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से वर्तमान में भी पिछड़ी दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं मुख्य रूप से कृषि एवं उनसे संबंधित कार्य करती हैं। मजदूरी एवं अधिक श्रम के कारण इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय रहती है। ग्रामीण महिलाएं अशिक्षा, एवं जागरूकता के अभाव में स्वयं के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सृजित करने में अधिक सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति में शासन एवं सरकार द्वारा अनेक प्रयास कर निरक्षर एवं आर्थिक रूप से अक्षम ग्रामीण महिलाओं को एक समूह के रूप में संगठित किया जाता है।

सूक्ष्म वित्त, वित्तीय सेवाओं की एक शाखा है जो लोगों की व्यक्तिगत उपभोग, उत्पादन अथवा व्यवसाय आदि हेतु वित्त प्रदान करती है। देश में सूक्ष्म वित्त के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को ''स्वयं सहायता समूह'' के माध्यम से जोड़कर उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म वित्त व्यवस्था को निर्धनता उन्मूलन के एक प्रबल विकासात्मक आधार के रूप में माना जा रहा है। सूक्ष्म वित्त के द्वारा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि व्यवसाय संचालित करती हैं। सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म बचतों, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म विश्लेषण, सूक्ष्म पेंशन एवं आजीविका से संबंधित है। इसके सतत् विकास से हीं भारत के ग्रामीण गरीबों का समुचित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हुआ है। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर होकर स्वयं की अभिरूचि के अनुसार व्यवसाय संचालित करती हैं। सूक्ष्म वित्त के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं गैर सरकारी संगठन समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वित्त प्रदान करते हैं।

नाबार्ड के विशेष प्रयास से सर्वाधिक निर्धनों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है।

नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरूआत की थी जो निरंतर जारी है। ''स्वयं सहायता समूह'' तथा ''बैंक लिंकेज कार्यक्रमों'' के द्वारा महिलाओं को जोड़कर आर्थिक सहायता उद्यम स्थापित हेतु प्रदान की जाती है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सूक्ष्म ऋण योजना महिलाओं के एसएचजी के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। 31 लाख से भी अधिक महिला स्वयं सहायता समूह और 3.6 करोड़ महिलाएं वर्तमान में इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। पिछले वर्षों में 85 हजार करोड़ से अधिक का ऋण महिला एसएचजी ने लिया है। इनमें से एक बड़ी रकम का उपयोग परिवार की आय को सुधारने और विविध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया। आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण लेने से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है। 1.50 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो खुद गरीबी से उठकर सशक्त होकर सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। इनके माध्यम से स्थायी कृषि, पशुपालन सेवाएं, डेयरी उद्योग, चारा विकास, बागवानी, बैंकिंग सेवा के साथ–साथ अकाउंट्स के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। ऐसा लगता है कि पूरी तस्वीर ही बदल रही है।

स्वयं सहायता समूह से महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आटाचक्की, झाड़ू बनाना, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, किराना दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, मध्याह्न भोजन बनाना, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प आदि उद्यम स्थापना करती हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

वर्ष 2011 में महिला स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों से 1.6 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। वर्ष 2014–15 में 20 हजार करोड़ रूपये का, 2015–16 में 30 हजार करोड़ रूपये का और 2016–17 में 35 हजार करोड़ रूपये का ऋण लिया है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने स्टेय (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लायमेंट प्रोग्राम फार वूमेन) कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें महिलाओं को कौशल व रोजगार संबंधी आर्थिक एवं संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए सहायता समूह निर्मित किए गए हैं और 1600 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन आर्थिक मदद हेतु किया गया है। यह योजना कौशल आधारित योजना को बढ़ावा देते हुए स्कील इंडिया कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसके तहत महिलाओं को सहायता रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई–कढ़ाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, आईटी समर्थित सेवाएं एवं अंग्रेजी बोलना, अतिथि सत्कार, पर्यटन रत्न व जवाहरात आदि कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का कुल श्रम कार्यबल 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत रहा है। महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए सरकारी लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टेय कार्यक्रम के तहत महिला डेयरी सरकारी समितियां स्थापित की गई है। इनके द्वारा महिलाएं अपने परिवार का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सक्षम सिद्ध हुई है। गांव में कृषि कार्य के अन्तर्गत बुवाई, चारे की कटाई, अनाज निकालना, पशुपालन आदि कार्यों से महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर कशीदारी, गलीचे बनाना, पापड़, अचार, मुरब्बा, मोमबत्ती, दियासलाई, सिलाई बुनाई, नगीने जड़ाई, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे घरेलू व्यवसय के द्वारा न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है बल्कि निर्यात व्यापार में भी उनके द्वारा उत्पादित परंपरागत सामग्री देश–विदेशों में अपनी पहचान बना रही है।

इसप्रकार आज के आर्थिक युग में ग्रामीण महिला उत्थान व सशक्तिकरण की अवधारणा से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अधिक स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हुई है। उनमें आत्मविश्वास व मनोबल का संचार हुआ है। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। शिक्षा के प्रसार व जागरूकता बढ़ने से वे ग्रामीण विकास में योगदान दे रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की महिलाओं में आत्मबल व निर्णय क्षमता का संचार हुआ है। अतः सूक्ष्म वित्त एवं बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तरह एसएचजी को आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण महिलाएं एसएचजी से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। अतएव सूक्ष्म वित्त ने महिलाओं की आर्थिक–सामाजिक स्थिति को परिवर्तित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सूक्ष्म वित्त का ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक कार्यरत स्थिति का अध्ययन करना।
2. सूक्ष्म वित्त का महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ग्रामीण महिलाओं का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है जिसके कारण भारतीय समाज में महिलायें पिछड़ी हुई दशा में जीवन व्यतीत करती हैं। प्रशासन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु अनेक प्रयास किये गए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर में वृद्धि की गई है। ग्रामीण महिलाओं में सूक्ष्म वित्त के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किये जा रहे हैं। अतः महिलाओं में स्वावलम्बन की स्थिति निर्मित हुई है। शासन के द्वारा विभिन्न 'बैंक लिंकेज कार्यक्रमों'' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म वित्त प्रदान किया जा रहा है जिसके कारण महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। अतः इस दृष्टि से यह जानना आवश्यक है कि सूक्ष्म वित्त के कारण ग्रामीण महिला उद्यमियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है–इस हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन सम्पन्न किया गया।

शोध प्रारूप

सूक्ष्म वित्त से ग्रामीण महिलाओं का उत्थान किया जाता है। उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। अर्थात् उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए गया जिला का बोध गया क्षेत्र का चयन किया गया है। सूक्ष्म वित्त से जुड़ी 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग किया गया है।

सारणी संख्या – 1 महिला उद्यमियों की सामान्य जानकारी

1	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
	18–25	53	35.33
	26–35	62	41.33

	35 से अधिक	35	23.33
2	**जाति**		
	पिछड़ी जाति	23	15.33
	अत्यंत पिछड़ी जाति	41	27.33
	अनुसूचित जाति	86	57.33
3	**शैक्षणिक स्थिति**		
	अशिक्षित	87	58.00
	शिक्षित	63	42.00
4	सूक्ष्म वित्त संस्था से ऋण लेने से पूर्व आय स्तर		
	2000 से कम	65	43.33
	2000–4000	56	37.33
	4000–6000	19	12.66
	6000 से अधिक	10	6.66
5	सूक्ष्म वित्त संस्था से ऋण लेने के बाद का आय स्तर		
	2000–4000	46	30.66
	4000–6000	29	19.33
	6000–8000	34	22.66
	8000 से अधिक	41	27.33

प्रस्तुत सारणी में सूक्ष्म वित्त के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सामान्य जानकारी दी गई है। सारणी में महिलाओं की आयु संबंधी जानकारी से स्पष्ट है कि 18–25 वर्ष की महिलाएं 35.33 प्रतिशत, 26–35 की आयु वर्ग की महिलाएं 41.33 प्रतिशत एवं 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं 23. 33 प्रतिशत हैं। 26–35 वर्ष की महिलाएं सर्वाधिक 41.33 प्रतिशत है। जातीय आधार पर पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 15.33 प्रतिशत, 27.33 प्रतिशत एवं 57.33 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत है। शैक्षणिक स्थिति की जानकारी से स्पष्ट है कि 58.00 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं जबकि 42.00 प्रतिशत शिक्षित हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पहले महिलाओं की आय का स्तर बहुत निम्न था। अर्थात् 2000 से कम आय प्राप्त करने वाली सर्वाधिक महिलाएं 43.33 प्रतिशत थीं जबकि 6000 से अधिक आय प्राप्त करने वाली महिलाएं सबसे कम 6.66 प्रतिशत थी। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से ऋण लेने के बाद महिलाओं की आय स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज 27.33 प्रतिशत महिलाएं 8000/– से अधिक मासिक आय अर्जित करती हैं जबकि 30.66 प्रतिशत महिलाएं 2000–4000 आय प्राप्त करती हैं।

सारणी संख्या – 2 सूक्ष्म वित्त से संचालित ग्रामीण महिलाओं की व्यावसायिक संरचना

क्र.स.	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आटा चक्की	17	11.33
2	मत्स्य पालन	8	5.33
3	मुर्गीपालन	11	7.33
4	किराना दुकान	17	11.33
5	दुग्ध व्यवसाय	11	7.33
6	झाड़ू–टोकनी बनाना	23	15.33
7	टेलरिंग	09	06.00
8	अगरबत्ती बनाना	12	08.00
9	पापड़–बढ़ी बनाना	09	06.00
10	मध्याहन भोजन बनाना	21	14.00
11	अन्य	12	8.00
		150	100.0

प्रस्तुत सारणी में गया जिला का बोध गया क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित व्यवसायों का विश्लेषण किया गया। सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाएं निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि कार्य करती है। इनके द्वारा कई तरह के व्यवसाय किए जाते हैं जिनका वर्णन उपर्युक्त सारणी में किया गया है।

सारणी संख्या – 3 ग्रामीण महिला उद्यमियों की ऋण उपभोग संबंधी जानकारी

क्र.स.	ऋण उपभोग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घरेलू उपभोग	18	12.0
2	स्वास्थ्य	13	8.66
3	उत्सव/त्योहार	7	4.66
4	पुराने ऋणों का भुगतान	13	8.66
5	व्यवसाय संचालन	90	60.0
6	बच्चों की शिक्षा एवं अन्य	9	06.00

प्रस्तुत सारणी में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा दिये जाने वाले ऋण के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है। स्पष्ट है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा ऋण राशि का उपयोग स्वयं के उद्योग स्थापित करने हेतु किया जाता है। जबकि 12 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा घरेलू उपभोग तथा लगभग 09 प्रतिशत महिलाओं द्वारा पुराने ऋणों का भुगतान हेतु किया जाता है। शेष महिलाओं द्वारा ऋण राशि का उपयोग स्वास्थ्य, उत्सव/त्योहार, बच्चों की शिक्षा एवं अन्य कार्यों हेतु किया जाता है।

सूक्ष्म वित्त के द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार की भावना, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह एक ऐसी संस्था है, जिसके द्वारा महिलाऐं अपनी रूचि के अनुसार स्वयं का व्यवसाय संचालित करती हैं। शासन के द्वारा बैंक लिंकेज कार्यक्रमों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रयास किये गए हैं।

सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है। सूक्ष्म वित्त के द्वारा ग्रामीण महिलाओं में स्वावलंबन तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का ग्रामीण महिला उद्यमियों की व्यवसायिक संरचना, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे उनमें आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा, बचत प्रवृत्ति आदि आई है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को

ग्रामीण महिला निर्धनता उन्मूलन के एक सबल विकासात्मक आधार के रूप में माना जाता है। अतः इन संस्थाओं के द्वारा ही वर्तमान समय में महिला उत्थान का मार्ग संभव हो पाया है।

सुझावः

1. ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं शिविर आयोजित किये जाने चाहिए।
2. महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए।
3. उद्यम संचालन हेतु आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर एवं पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए।
4. ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।
5. महिला उद्यमियों को प्रदान ऋण राशि को उचित उपयोग हेतु संस्थाओं के द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. चन्द्रक्रान्त लहरिया, योजना, अक्टूबर 2018
2. राकेश श्रीवास्तव, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2020
3. डा0 निलेश कुमार तिवारी, आकांक्षा गुप्ता, कुरूक्षेत्र, जुलाई 2019
4. Sagwat S.S., 'Financial Inclusion and Help Group NABARD, 2008
5. आहूजा राजीव, 'भारत में सूक्ष्म वित्त', आई.सी.आर, आई.ई. आर, नई दिल्ली, पृ.12–14
6. Bansal Hema – An overview S.H.G. Bank Linkage program in India'. Journal of Micro Finance, Vol.5, 2008, pp.22-23
7. Narsing M.L., Economic Empowerment of Women through self help groups', National Institute of cooperation and child Development, New Delhi, 2004, pp.59-64